



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in Phone ☎: 2661263, 2737446 Fax: 2737446

पत्र क्र० / 1307 / प्रशि.गा०.वि / 2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 / 05 / 2013

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का० / गा०)
संभागीय मुख्यालय

विषय :- स्कीम ऑफ ट्रेनिंग मे हऐ परिवर्तन।

संदर्भ :- राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली का पत्र क्र 37 दिनांक 08/04/13

संदर्भित पत्रानुसार दिनांक 19/11/12 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद नई दिल्ली की बैठक मे लिये निर्णयानुसार स्कीम ऑफ ट्रेनिंग स्काउट विभाग एवं स्कीम आफ ट्रेनिंग गाइड विभाग मे संलग्न आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किये गये है। जिन्हे राष्ट्रीय मुख्यालय की वेब साइड www.bsgindia.org पर भी देखी जा सकती है एवं राज्य मुख्यालय भोपाल की वेब साइड www.bsgmp.net पर देखी जा सकती है।

संलग्न सभी संशोधन प्रत्येक स्तर के वयस्क प्रशिक्षण शिविरों व प्रशिक्षको पर लागु किये जावेगें।

संलग्न – विवरण।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

– स्कीम ऑफ ट्रेनिंग गाइड विभाग –

– आवश्यक संशोधन –

क्र.6– प्रशिक्षकों की अन्य प्रदेश के शिविरों में नियुक्ति व सीनांतरण (ए एवं बी) दोनों को एक साथ किया गया है।

यदि एक राज्य को आवश्यकता होने पर अन्य राज्य से प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, तो संबंधित राज्य के एस.टी.सी. गाइड द्वारा राज्य मुख्यालय आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर उप संचालक गाइड लीडर ट्रेनिंग एवं राष्ट्रीय मुख्यालय को तदाशय अनुमति हेतु पत्राचार करेगी। यदि उक्त की अनुमति के बिना प्रशिक्षक आमंत्रित किये जाते हैं, तो वह शिविर अमान्य माना जावेगा।

चेप्टर – 2

– युनिट लीडर प्रशिक्षण –

सभी शिविर पूर्ण आवासीय होकर उनकी निम्नानुसार न्यूनतम व अधिकतम संख्या होगी :

संशोधन के क्र	नाम शिविर	दिवस	न्यूनतम संख्या	अधिकतम संख्या
2	बेसिक फ्लाक लीडर कोर्स	7 दिवस	12	24
4	बेसिक रेंजर लीडर कोर्स	7 दिवस	6	24
5	एडवांस फ्लाक लीडर कोर्स	7 दिवस	12	24
7	एडवांस रेंजर लीडर कोर्स	7 दिवस	6	24
8	हि.वु.बै. फ्लाक लीडर कोर्स	7 दिवस	12	24
9	हि.वु.बै. रेंजर लीडर कोर्स	7 दिवस	6	24

चेप्टर – 3

सिलेबस ऑफ कोर्स – 'ए' युनिट लीडर कोर्स

ए-2 बेसिक फ्लाक लीडर कोर्स

क्र.2 – नेचर स्टडी – प्रकृति संरक्षण कैसे करे, प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह।

ए-3 एडवांस फ्लाक लीडर कोर्स

क्र.11 – सेरेमनी लक्ष्य, उद्देश्य – बैज प्रदान करना, फ्लाक दिवस, फ्लाइंग अप, गोइंग अप सेरेमनी, सर्व धर्म प्रार्थना सभा।

नवीन विषय जोड़ा गया – खोज के चिन्ह।

ए-4 फ्लाक लीडर हिमालय वुड बैज कोर्स

क्र-7 इम्पुवाइज शेल्टर, स्ववेयर लेशिंग, डायगोनल लेशिंग, शीयर लेशिंग, फिगर ऑफ एट लेशिंग।

ए-5 बेसिक गाइड केप्टीन प्रशिक्षण शिविर

क्र-8 – द्वितीय सोपान स्तर तक प्रशिक्षण व जॉच।

क्र-10– व्हीपिंग, डायगोनल शीयर, स्कवेयर, फिगर ऑफ एट लेशिंग, द्वितीय सोपान स्तर तक गौटे।



- क्र-13 स्वास्थ्य के नियम व अभ्यास।
- क्र-14 द्वितीय सोपान स्तर तक फर्स्ट एड।
- क्र-16 आधे दिवस की हाइक का आयोजन।
- क्र-23 दल साहित्य व रिकार्ड व रिकार्ड कैसे संधारित करें।
- क्र-24 स्थानीय एवं जिला संघ स्तर तक सगठन की जानकारी।

ए-6 एडवांस गाइड केप्टीन प्रशिक्षण शिविर

- क्र-9 प्रभावी संवाद प्रक्रिया के विभिन्न तरिके।
- क्र-10 संस्कृति व धरोहर पर समूह चर्चा।
- क्र-14 आधे दिवस की हाइक का आयोजन।
- क्र-22 ए.पी.आर.ओ. भाग-1, 3 रूल्स बुक एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं की जानकारी तथा लेडी बी.पी. की जीवनी की संक्षिप्त जानकारी।
- क्र-23 तृतीय सोपान स्तर तक फर्स्ट-एड, मार्डन फर्स्ट-एड।
- क्र-24 प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता का संक्षिप्त ज्ञान, सामुदायिक विकास, परियोजना, सी.डी.प्रोजेक्ट की योजना तैयार करना।

ए-7 गाइड केप्टीन हिमालय वुड बैज प्रशिक्षण शिविर

- क्र-6 लक्ष्य बनाना - एरिया (परिसर) या मार्ग का स्केच मेप, त्रिकोण विधि या प्लेन टेबल सर्वे या रोड ट्रेवल विधि द्वारा।
- क्र-18 गाइड को सलाह देना (कोरसिलिंग करना)

ए-8 बेसिक रेंजर लीडर कोर्स

- क्र-1 दैनिक कार्यक्रम व शिविर उद्देश्य।
- क्र-2 आन्दोलन के मूलभूत आधार तथा उद्देश्य लक्ष्य साधन नीति एवं 14 आदर्श कार्य[म]।
- क्र-3 आन्दोलन का इतिहास बी.पी.की जीवनी, भारत में गर्ल गाइड आन्दोलन का विकास व प्रसार।
- क्र-10 खुले में आग जलाना व बुझाना, आग से सुरक्षा के उपाय, आग स्थान के विभिन्न प्रकार।

ए-9 एडवांस रेंजर लीडर कोर्स

- नवीन बिन्दु जो जोड़ा गया -
- क्र-24 उपराष्ट्रपति अवार्ड प्रतियोगिता की संक्षिप्त जानकारी।

चेप्टर -4

ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर

5-आनरेबल चार्ज

ब- आनरेबल चार्ज वैद्यता की अवधि 2 वर्ष की होगी एवं नवीनीकरण की 2 वर्षों के लिये किया जावेगा। आनरेबल चार्ज के साथ बार भी प्राप्त होगा। ए.एल.टी.बार पर नीली पृष्ठ भूमि पर असिस्टेंट लीडर ट्रेनर अंकित होगा।

स- (1) आनरेबल चार्ज व बार राष्ट्रीय मुख्यालय की संपत्ति है, जो किसी भी समय पुष्ट कारण होने एवं अधिकृत व्यक्ति की अनुशंसा पर उप संचालक गाइड लीडर ट्रेनिंग को जमा कराना होगी।

(2) यदि कोई प्रशिक्षण भारत स्काउट एवं गाइड के नीति नियमों के विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही करती है, तो उनके आनरेबल चार्ज तत्काल निरस्त किये जा सकेंगे।

(3) संस्था के पूर्व वैतनिक कर्मचारी/अधिकारी जिन्हें आनरेबल चार्ज प्राप्त है, उनके सेवानिवृत्ति, विलंबन, त्याग पत्र, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर स्वतः ही उनके आनरेबल चार्ज निरस्त माने जावेंगे।

(4) संस्था के पूर्ण वैतनिक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात शारीरिक रूप से स्वस्थ हो व उनकी कार्यक्षमता निरंतर दल संचालित करती है, उनके राज्य की अनुशंसा पर निरंतर किया जा सकेगा।



6- आनरेबल चार्ज का नवीनीकरण

आनरेबल चार्ज का नवीनीकरण प्रति 2 वर्ष के लिये होगा, जो राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड के द्वारा अग्रेषित द्विवार्षिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उप संचालक गाइड लीडर ट्रेनिंग द्वारा निम्न शर्तों के साथ नवीनीकरण किया जावेगा :-

1- एल.टी./ए.एल.टी. का दल संचालित हो जिसके प्रमाणीकरण की प्रति व वारंट की प्रति द्विवार्षिक नवीनीकरण के साथ संलग्न करना होगी।

2- प्रति 4 वर्ष में रिओरियंटेशन कोर्स में सफलता प्राप्त करें।

3- **ए.एल.टी. हेतु 2 वर्षों में कोई एक कार्य करें -**

अ- दो वर्षों में एक एडवांस अथवा बेसिक कोर्स में पूर्ण अवधि में रहकर संचालक अथवा सहयोग करें।

ब- अपने दल में 2 गोल्डन एरो बुलबुल, 2 राष्ट्रपति गाइड, 2 राष्ट्रपति रेंजर तैयार करें।

स- हिमालय वुड बैज शिविर में पूर्ण कालिक सहयोग दिया हो।

द- राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के विशेष शिविरों में पूर्ण कालिक सहयोग प्रदान किया हो।

नोट - दल का संचालन या सहयोग करें एवं वारंट व चार्टर नवीनीकृत करें।

4- **एल.टी. हेतु -2 वर्षों में कोई एक की पूर्ति करें -**

अ- 2 एडवांस कोर्स का संचालन व पूर्ण कालिक सहयोग प्रदान करें।

ब- हिमालय वुड बैज/प्रि.ए.एल.टी. कोर्स का संचालन अथवा सहयोग प्रदान करें।

स- 2 बेसिक कोर्स का संचालन किया हो।

द- 1 बेसिक, 1 एडवांस कोर्स का संचालन किया हो।

इ- अपने दल में 2 गोल्डन एरो बुलबुल, 2 राष्ट्रपति गाइड, 2 राष्ट्रपति रेंजर तैयार की हो।

क्र.8- नवीन संशोधन

आनरेबल चार्ज का निरस्तीकरण

1- जिन प्रशिक्षकों का विगत 10 वर्षों से नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनके आनरेबल चार्ज निरस्त माने जावेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में उन पर राज्य की अनुशंसा पर विचार किया जा सकेगा।

2- प्रशिक्षक के 65 वर्ष होने पर उनका आनरेबल समाप्त माना जावेगा। यदि प्रशिक्षक शारीरिक, मानसिक रूप से सक्षम है और दल संचालन या सहयोग कर रहे हैं, उनका राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर आनरेबल चार्ज 75 वर्ष तक निरंतर किया जा सकेगा।

3- यदि कोई प्रतिभागी किसी भी स्तर के प्रशिक्षण में आवश्यक पात्रता शिविर के 3 वर्ष तक भी पूर्ण नहीं कर पाती है, तो उन्हें पुनः संबंधित शिविर में भाग लेना होगा।

क्र.9- राष्ट्रीय प्रशिक्षक दल

1- राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्यतः प्रशिक्षक दल (ट्रेनिंग पूल) की स्थापना होगी।

2- वे लीडर ट्रेनर जिनके पास विगत 5 वर्षों का अनुभव हो, वे हिमालय वुड बैज प्रशिक्षण शिविर का संचालन कर सकेंगे।

3- राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पास यह अधिकार रहेगा कि राष्ट्रीय ट्रेनिंग पूल से वे राज्य की सहमति से कारण विशेष होने पर किसी ट्रेनर का नाम जोड़ सकता है अथवा काट सकता है।

4- उप संचालक गाइड लीडर ट्रेनिंग एस.टी.सी.गाइड से नाम आमंत्रित करेगी।

5- एस.टी.सी. गाइड की अनुशंसा से प्राप्त ट्रेनर्स के नाम प्राप्त होने पर डी.डी.जी.एल.टी. अंतिम सूची तैयार कर नेशनल कमिश्नर को प्रस्तुत करेगी।

6- नेशनल ट्रेनिंग पूल में समय-समय पर परिवर्तन किया जावेगा।

7- नेशनल कमिश्नर से कोर्स की अनुमति पश्चात उप संचालक गाइड लीडर ट्रेनिंग एस.टी.सी.गाइड को सूचित करते हुए शिविर हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

8- यदि 3 बार लगातार आमंत्रित किये जाने पर ट्रेनर शिविर में सम्मिलित नहीं होती है, तो उनका नाम ट्रेनिंग पूल से निरस्त किया जावेगा और कारण बताते हुये सूचित किया जावेगा।

9- जो ए.एल.टी. जिन्हे आनरेबल चार्ज प्राप्त हुये 7 वर्ष हो चुके हो और हिमालय वुड बैज में सहायता की हो वे ट्रेनिंग पूल के सदस्य बनाये जा सकेंगे।

चेप्टर- 5 प्रशिक्षण व प्रशासन क्र-11 निरस्त।



स्काउट विभाग – स्कीम आफ ट्रेनिंग

– आवश्यक संशोधन –

क्र.4– कोर्स के पाठ्यक्रम (युनिट लीडर)

1– परिचयात्मक शिविर (सामान्य)

नवीन जोडा गया–स्काउट साहित्य की जानकारी

2– बेसिक कब मास्टर कोर्स

3– स्मार्टनेस व गुड आर्डर (स्फूर्ति व सही आदेश) पैक मे अनुशासन, युनिफार्म व उसकी देखभाल, कब का ध्वजारोहण विधि व सामान्य ध्वजारोहण विधि।

क्र.10– व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता की जानकारी

17– खेल, सामान्य ड्रिल की जानकारी, योगा/सूर्यनमस्कार।

23– कब मास्टर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व।

क्र.3– एडवांस कब मास्टर कोर्स

क्र.5– अभिरुचि व हस्तकला

क्र.13– नवीन– वुल्फ कब हेण्ड बुक की विस्तृत जानकारी।

क्र.17– नवीन– जंगल नृत्य व शेर खान का नृत्य।

4– कब मास्टर हिमालय वुड बैज कोर्स–

क्र.6– नवीन जोडा गया – शीयर व स्कवेयर लेशिंग

क्र.7– नवीन जोडा गया– जंगल नृत्य सभी नृत्य मे (भालू, बघेरा का नृत्य) मे प्रगतिकारक अभ्यास।

5– स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स

क्र.3 मे क्र.12 शामिल किया गया। स्मार्टनेस (सुव्यवस्था) और गुड आर्डर (सही आदेश) ध्वज, शिष्टाचार, हाथ व सीटी के ईशारे, ड्रिल व दल मे अनुशासन, युनिफार्म कैसे पहने व उसकी देखभाल।

क्र.20– स्काउटिंग व समाज सेवा, स्काउटिंग व धर्म, ईश्वर के प्रति कर्तव्य।

क्र.21– शिविर जीवन व हाइक, प्रतिवेदन की लाग बुक बनाने का तरीका।

6– एडवांस स्काउट मास्टर कोर्स

क्र.5– रस्सीयों के प्रकार व रस्सीयों का माप (मेजरमेंट)

क्र.11– रूल्स बुक ए.पी.आर.ओ. एवं स्काउटिंग पर अन्य किताबों का ज्ञान और स्काउटिंग फॉर बॉयस के क्रियान्वयन, कथानक की जानकारी।

7– हिमालय वुड बैज स्काउटर मास्टर कोर्स

क्र.4– मे 9 को शामिल किया गया।

रस्सी के कार्य (रोप वर्क) पायनियरिंग एवं पायनियरिंग प्रोजेक्ट की उन्नत एडवांस जानकारी।

क्र.17– कलर पार्टी सीखना व अभ्यास

8- बेसिक रोवर लीडर कोर्स

क्र.20- रोवरिंग के साहित्य एवं स्काउटिंग फार बायज, ए.पी.आर.ओ. आदि पुस्तको की जानकारी।

चेप्टर 3

क्र.5- ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स

स- प्रि.ए.एल.टी.कोर्स - पात्रता

1- पार्चमेन्ट प्राप्ति पश्चात 2 वर्ष की अवधि पूर्ण हो, दल का प्रभावी संचालन करते हो जिसकी 3 वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन डी.ओ.सी./डी.टी.सी. से प्रमाणित हो (प्रोफार्मा स्कीम आफ ट्रेनिंग मे छपे अनुसार हो)

2- बेसिक अथवा एडवांस प्रशिक्षण शिविर मे पूर्ण कालीन सहयोग प्रदान किया हो।

3- दल मे कम से कम 2 गोल्डन एरो कब, 2 राष्ट्रपति स्काउट, 4 निपूण रोवर तैयार किये हो, मा.वि.के शिक्षकों द्वारा 8 तृतीय सोपान अथवा 6 राज्य पुरस्कार तैयार किये जा सकते है।

4- प्रि.ए.एल.टी. कोर्स कौशल पूर्ण टेस्ट शिविर होगा।

चेप्टर 4

क्र.8- आनरेबल चार्ज 3 नवीनीकरण की शर्त :-

1- सभी एल.टी./ए.एल.टी. को दल संचालन/सहयोग करना अनिवार्य है तथा द्विवार्षिक प्रतिवेदन के साथ वारंट की छाया प्रति संलग्न करेंगे।

2- ए.एल.टी. हेतु 2 वर्षों मे कोई एक कार्य करे।

अ- 2 बेसिक अथवा 1 एडवांस प्रशिक्षण शिविरों मे संचालन अथवा सहायता की हो।

ब- अपने दल मे 2 गोल्डन एरो कब, 2 राष्ट्रपति स्काउटर, 2 राष्ट्रपति रोवर तैयार किये हो।

स- एक वुड बैज कोर्स मे सहायता करें।

द- राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के 2 विशेष शिविरों मे सहायता/संचालन किया हो।

3- एल.टी. हेतु 2 वर्षों मे कोई एक कार्य करें।

अ- अपने विभाग के 2 एडवांस प्रशिक्षण शिविरों मे संचालन या सहायता करें।

ब- प्रि.ए.एल.टी./हिमालय वुड बैज प्रशिक्षण शिविर मे संचालक या सहायता की हो।

स- 2 बेसिक कोर्स का संचालन किया हो।

द- अपने दल मे 2 गोल्डन एरो, 2 राष्ट्रपति स्काउट, 2 राष्ट्रपति रोवर तैयार किये हो।

उक्त की प्रमाणित प्रति द्विवार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न करेंगे।

4- एल.टी./ए.एल.टी. को प्रति 4 वर्षों मे रिओरियंटेशन कोर्स करना अनिवार्य है।

5- पदक (इनसिग्निया)

क्र.3-अ- आनरेबल चार्ज व बीड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की संपत्ति है, जो राज्य मुख्यालय की अनुशंसा व राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा स्पष्ट कारण होने पर उप संचालक स्का0 लीडर ट्रेनिंग द्वारा वापस ली जा सकेगी।

ब- यदि कोई ट्रेनर भारत स्काउट एवं गाइड नीति नियमों के विपरित गतिविधि व क्रियाकलाप मे भाग लेता/ करता है, तो उसका आनरेबल चार्ज तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

स- पूर्ण कालीक वैतनिक कर्मचारी/अधिकारी जिन्हे आनरेबल चार्ज प्राप्त है, उनके सेवानिवृत्ति/निलंबन/त्याग पत्र/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर उनके आनरेबल चार्ज स्वतः समाप्त माने जावेगें।

द- पूर्ण कालीक प्रोफेशनल ट्रेनर्स सेवानिवृत्ति पश्चात शारीरिक रूप से स्वस्थ है एवं किसी दल के संचालन मे सहयोग प्रदान करते है, तो उनका आनरेबल चार्ज राज्य की अनुशंसा पर निरंतर किया जा सकेगा।

प्रशिक्षक के आनरेबल चार्ज का निरस्तीकरण (क्र.9- के पश्चात नवीन जोड गया)

- 1- प्रशिक्षको के आनरेबल चार्ज 10 वर्ष से अधिक समय तक नवीनीकरण नही होने पर उनका आनरेबल चार्ज स्वतः निरस्त माना जावेगा, किन्तु राज्य की अनुशंशा पर पुनः आवश्यक प्रक्रिया पश्चात निरंतर किया जा सकेगा।
- 2- प्रशिक्षक की 65 वर्ष की उम्र पर उसका आनरेबल चार्ज समाप्त माना जावेगा। यदि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है और निरंतर दल के साथ संबद्ध होकर आन्दोलन मे सेवाएँ देने को तैयार है तो स्टेट चीफ कमिश्नर व स्टेट कमिश्नर की अनुशंसा पर उसका आनरेबल चार्ज निरंतर किया जा सकेगा।
- 3- यदि कोई प्रतिभागी किसी उच्च प्रशिक्षण के समय उसकी आवश्यक पात्रताएँ व असाइनमेंट आदि की आवश्यकता पूर्तियों 3 वर्षों के भीतर नही कर पाता है, तो उसका वह शिविर अमान्य माना जाकर उसे पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षको को अन्य राज्य संघ मे सेवा

क्र.10- प्रशिक्षको का शिविरों मे नियुक्ति यदि किसी राज्य संघ द्वारा अपने राज्य मे शिविर संचालन/सहयोग हेतु सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो राज्य मुख्य आयुक्त की सहमति से एस.टी.सी. स्काउट द्वारा संबंधित के राज्य से पत्राचार करते हुए, एन.टी.सी. पचमढी व राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करेंगे। यदि बिना अनुमति शिविर मे संचालक आमंत्रित किये जाते है, तो वह शिविर अमान्य माना जावेगा।

नेशनल ट्रेनिंग पूल

क्र.12- के पश्चात नवीन खंड -

- 1- राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्यतः प्रशिक्षक दल (ट्रेनिंग पूल) की स्थापना होगी।
- 2- वे लीडर ट्रेनर जिनके पास विगत 5 वर्षों का अनुभव हो, वे हिमालय वुड बैज प्रशिक्षण शिविर का संचालन कर सकेंगे।
- 3- राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पास यह अधिकार रहेगा कि राष्ट्रीय ट्रेनिंग पूल से वे राज्य की सहमति से कारण विशेष होने पर किसी ट्रेनर का नाम जोड सकता है अथवा काटा जा सकता है।
- 4- उप संचालक स्काउट लीडर ट्रेनिंग एस.टी.सी. स्काउट से नाम आमंत्रित करेगी।
- 5- एस.टी.सी. स्काउट की अनुशंसा से प्राप्त ट्रेनर्स के नाम प्राप्त होने पर डी.डी.एस.एल.टी. अंतिम सूची तैयार कर नेशनल कमिश्नर को प्रस्तुत करेंगे।
- 6- नेशनल ट्रेनिंग पूल मे समय-समय पर परिवर्तन किया जावेगा।
- 7- नेशनल कमिश्नर कोर्स की अनुमति पश्चात उप संचालक स्काउट लीडर ट्रेनिंग एस.टी.सी. स्काउट को सूचित करते हुए शिविर हेतु आमंत्रित कर सकेंगे।
- 8- यदि 3 बार लगातार आमंत्रित किये जाने पर ट्रेनर शिविर मे सम्मिलित नही होते है, तो उनका नाम ट्रेनिंग पूल से निरस्त किया जावेगा और कारण बताते हुये सूचित किया जावेगा।
- 9- जो ए.एल.टी. जिन्हे आनरेबल चार्ज प्राप्त हुये 7 वर्ष हो चुके हो और हिमालय वुड बैज मे सहायता की हो वे ट्रेनिंग पूल के सदस्य बनाये जा सकेंगे।

चेप्टर 5

क्र.13(ई)- नवीन खंड

नोट- सभी प्रशिक्षण शिविर व विशेष शिविरों मे प्रथम दिवस सुबह 10.00 बजे तक अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा व अंतिम दिवस शाम 04.00 बजे तक समापन होगा।

